Date:-15/02/2019

<u>कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के अधीन निम्न सूचनाऐं जनहित में मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें</u>:-

(1) बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज (उ0प्र0) द्वारा संचालित किसी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में यदि किसी सहायक अध्यापक/अध्यापिका के साथ विद्यालय परिषर में ही अन्य सहायक अध्यापक/अध्यापिका/शिक्षामित्र द्वारा मारपीट, धक्कामुक्की, गाली-गलौज, अभद्रता आदि की घटना का मामला आता है और उसकी शिकायत यदि संबन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से घटना की वीडियो फुटेज (साक्ष्य सहित) के साथ की जाती है, परन्तु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आरोपी टीचरों/शिक्षामित्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जाए तो ऐसी स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है?

(2) क्या कोई अन्य बाहरी व्यक्ति को किसी सरकारी टीचर की जगह पढाने की अनुमति दी जा सकती है? यदि नहीं तो ऐसे टीचर के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है जो बाहरी व्यक्ति को अपने स्थान पर पढाने के लिए विद्यालय लाता/भेजता है?